प्रेस नोट दिनांक- 08.08.2025

कोतवाली व जनपद चन्दौली

🔷 **कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा 01 मोटरसाइकिल से ले जाये जा रहे 75.03 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी करते हुए 2 शातिर शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार।**

🔷 **बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 01.00 लाख रूपयें।**

चन्दौली- आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध शराब/मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक-07.07.2025 को कोतवाली चन्दौली पुलिस द्वारा मूखबिर की सूचना के आधार पर एक मोटरसाइकिल से काली माता मंदिर की तरफ से आ रहे दो अभियुक्तों को रेलवे पुल के पास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जें से 361 टेट्रा पैक 8 PM मात्रा 180ML, 10 शीशी अंग्रेजी शराब रायल स्टेज मात्रा 375ML, 35 शीशी प्लास्टिक की आफ्टर डार्क ब्लू 180ML बरामद किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान विक्की कुमार पाल S/O उपेन्द्र पाल निवासी कुदरा थाना कुदरा जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 20 वर्ष व गोविन्द यादव S/O स्व0 रामदुलार यादव निवासी ग्राम बर्थरा खुर्द थाना चन्दौली जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष के रूप में हुई।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थान स्थानीय पर मु0अ0सं0-202/2025 धारा 60/63 आबकारी के तहत पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 202/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.विक्की कुमार पाल S/O उपेन्द्र पाल निवासी कुदरा थाना कुदरा जिला कैमूर बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।
2.गोविन्द यादव S/O स्व0 रामदुलार यादव निवासी ग्राम बर्थरा खुर्द थाना चन्दौली जिला चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान- काली माता मंदिर सकलडीहा रोड

बरामदगी का विवरण-

1. 361 ट्रेट्रा पैक 8 PM 180 ML
2. 35 शीशी प्लास्टिक की आफ्टर डार्क ब्लू 180ML.
3. 10 शीशी रायल स्टेज 375Ml
4. मोटरसाइकिल न0 UP67 वाई 8166 (सीज)

बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 01.00 लाख रूपयें।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. प्र0नि0 संजय कुमार सिह थाना व जिला चन्दौली।
2. उ0नि0 शिवपूजन बिंद थाना व जिला चन्दौली।
3. उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य।
4. हे0का0 विजय गौड़।

ऑपरेशन कन्विक्शन

◆ **श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।**

◆ **मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 08 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 60000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।**

जनपद चन्दौली थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 26.03.2005 को धारा 147,148,308/149,304/149,323/149,325/149,504,506,336 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तगण 1.उपेन्द्र यादव पुत्र रामबचन यादव 2.राम चरन पुत्र रामदास यादव 3.रवीन्द्र पुत्र रामचरन 4.रामअवधेश यादव पुत्र छतरमन यादव 5.रामआशीष यादव पुत्र छतरमन 6.राम बचन यादव पुत्र भरत यादव 7. राम अवध पुत्र शिवमंगल 8.संजय यादव पुत्र शिवजनम निवासीगण कंजेहरा थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-35/2005 धारा 147,148,308/149,304/149,323/149,325/149,504,506,336 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

आदित्य, लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्णमुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार का0 मनीष कुमार गुप्ता की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 08.08.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री राम बाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 08 अभियुक्तों 1.उपेन्द्र यादव पुत्र रामबचन यादव 2.राम चरन पुत्र रामदास यादव 3.रवीन्द्र पुत्र रामचरन 4.रामअवधेश यादव पुत्र छतरमन यादव 5.रामआशीष यादव पुत्र छतरमन 6.राम बचन यादव पुत्र भरत यादव 7. राम अवध पुत्र शिवमंगल 8.संजय यादव पुत्र शिवजनम निवासीगण कंजेहरा थाना धीना जनपद चन्दौली को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 60000-60000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।